



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(मास्त सरकार का उपक्रम—“मिनी रत्न”—कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला: श्रीगंगानगर, राजस्थान-335702
सी.आई.एन. यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking “Mini Ratna” Company)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Sriganganagar, Rajasthan-335702
CIN: U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)



दूरभाष/Phone : 01498-261202,

वेबसाइट/Website: www.indiaseeds.com ईमेल/ E-mail: csf.jetsar@indiaseeds.com



पत्रांक: के.रा.फा./जैत./ उद्यान / 13-04 / 2023-24 /

दिनांक: 23.01.2024

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) में स्थित पौधशाला में वर्ष 2023-24 में पोपुलर के 150000, ईमली के 4000 व गुलमोहर के 2000 पौधों को ठेके पर तैयार करवाने हेतु निविदा दिनांक 13-02-2024 को दोपहर 2.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन दोपहर बाद 03.00 बजे निविदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांक 24.01.2024 से 13.02.2024 दोपहर 02:15 तक किया जाएगा। निविदा में भाग लेने के लिए रुपये 20,000/- (रु बीस हजार मात्र) फार्म के बैंक खाते में ऑनलाईन जमा करवाकर अथवा बैंक डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251 खाता संख्या: 4153 2435 884) पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। जिसे कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर, बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा तथा असफल निविदादाता की राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जायेगी। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एवम् शर्तें किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिए निविदा प्रपत्र कृषि कार्यालय से प्राप्त करने के लिए रुपये 236 (200 Tander fee +18 % GST) का डिमान्ड-ड्राफ्ट, RTGS/NEFT के माध्यम से फार्म के बैंक खाते में जमा की रसीद प्रस्तुत करना होगा। निविदा के साथ पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक की कॉपी की फोटो कॉपी प्रस्तुत करनी होगी।

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(मास्त सरकार का उपक्रम—“मिनी रत्न”—कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला: श्रीगंगानगर, राजस्थान-335702
सी.आई.एन. यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking “Mini Ratna” Company)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Sriganganagar, Rajasthan-335702
CIN: U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)



दूरभाष/Phone : 01498-261202,

वेबसाइट/Website: www.indiaseeds.com ईमेल/ E-mail: csf.jetsar@indiaseeds.com



पत्रांक: के.रा.फा./जैत./ उद्यान / 13-04 / 2023-24 /

दिनांक: 23.01.2024

निविदा प्रपत्र

क्र.सं.		दर प्रति पौधा रू. में
1	1. पोपुलर के पौधों को तैयार करने के लिए कार्यों का विवरण:- पोपुलर के 150000 पौधों को तैयार करने के लिए फार्म क्षेत्र में उपलब्ध पोपुलर के मातृकि पौधों से कटिंग काटना तथा फार्म द्वारा तैयार की गई क्यारी में रोपन करना, पानी लगाना, आवश्यकतानुसार निराई गुड़ाई करना, 9 इंच से 1 फीट की उंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	रू0.....
	2. ईमली के पौधों को तैयार करने के लिए कार्यों का विवरण:- ईमली के 4000 पौधे लगाने के लिए, फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गये पॉलीथीन बैग में मिट्टी खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि भरकर पॉलीथीन बैग तैयार करना, तैयार किये गये पॉलीथीन बैग में फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गए ईमली बीजों को लगाना, आवश्यकतानुसार निराई गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की उंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	रू0.....
	3. गुलमोहर के पौधों को तैयार करने के लिए कार्यों का विवरण:- गुलमोहर के 2000 पौधे लगाने के लिए, फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गये पॉलीथीन बैग में मिट्टी खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि भरकर पॉलीथीन बैग तैयार करना, तैयार किये गये पॉलीथीन बैग में फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गए गुलमोहर बीजों को लगाना, आवश्यकतानुसार निराई गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की उंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	रू0.....

नोट:- तैयार करने वाले पौधों की संख्या घटायी या बढ़ाई जा सकती है।

दिनांक:-

हस्ताक्षर निविदा दाता.....

नाम व पूरा पता

.....

.....

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर

नियम व शर्तें

1. वर्ष 2023-24 में पोपुलर के 150000, ईमली के 4000 व गुलमोहर के 2000 पौधें तैयार करने होंगे।
2. पोपुलर के 150000 पौधों को तैयार करने के लिए फार्म क्षेत्र में उपलब्ध पोपुलर के मातृकि पौधों से कटिंग काटना तथा फार्म द्वारा तैयार की गई क्यारी में रोपन करना, पानी लगाना, आवश्यकतानुसार निराई गुड़ाई करना, 9 इंच से 1 फीट की उंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा देनी होगी।
3. ईमली व गुलमोहर के क्रमशः 4000 व 2000 पौधे लगाने के लिए, फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गये पॉलीथीन बैग में मिट्टी खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि भरकर पॉलीथीन बैग तैयार करना, तैयार किये गये पॉलीथीन बैग में फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गए ईमली व गुलमोहर बीजों को लगाना, आवश्यकतानुसार निराई गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की उंचाई तक का पौधा तैयार करके देना। दर प्रति पौधा देनी होगी।
4. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ स्वयं के आधार कार्ड, पेन कार्ड व बैंक खाता की सुचना की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
5. प्रस्तावित पौधों को तैयार करने हेतु फार्म द्वारा निर्मित पौधशाला में सिंचाई के लिए आवश्यक पानी (उपलब्धता के आधार पर) की व्यवस्था आदि फार्म द्वारा करायी जायेगी।
6. पौधे तैयार करने हेतु आवश्यक साधन सामग्री जैसे पॉलीथिन बैग, पॉलीथिन सीट, खाद, बीज, कीटनाशक आदि फार्म द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे।
7. तैयार किये जाने वाले सभी पौधों की सफलता दर कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए।
8. बिक्री योग्य तैयार पौधों की गिनती कम से कम 9 इंच से 12 इंच के आकार पर की जायेगी। जिसमें केवल मुख्य तना को ही माप में लिया जावेगा पत्तियों को माप में नहीं लिया जावेगा। केवल जीवित पौधे, जो कि उद्यान प्रभारी के निर्देशानुसार आगे बढ़वार करने वाले पूर्णतः स्वस्थ हों उन्हीं जीवित पौधों की गिनती की जाएगी।
9. आवश्यकतानुसार नर्सरी में किये जाने वाले सभी कार्य जैसे निराई, गुड़ाई (कम से कम आठ बार करेगा) सिंचाई स्प्रे आदि समय-समय पर ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
10. किसी प्राकृतिक नुकसान के लिए ठेकेदार खुद जिम्मेवार होगा। फार्म उन्हीं पौधों का भुगतान करेगा, जो अंतिम गिनती के समय भौतिक रूप से नियम व शर्त संख्या 8 के अनुसार उपलब्ध होंगे।
11. उक्त पौधे तैयार करने के लिए खेत में पौधे लगाने की अवधि कार्य आदेश जारी होने के दिनांक से 31/03/2024 तक होगी। पौधे लगाने के उपरांत नियम व शर्त सं. 8 के अनुसार गिनती करने का कार्य माह दिसम्बर 2024 में किया जावेगा। यद्यपि अवधि बढ़ाने हेतु सामान्य परिस्थितियों में कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा। परन्तु ठेकेदार द्वारा कोई विशेष कारण बताया जाने पर फार्म प्रमुख की अनुमति से समयावधि को बढ़ाया जा सकेगा।
12. यदि प्राकृतिक प्रकोप से कोई नुकसान होता है तो इसके लिए फार्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. ठेकेदार को निविदा देते समय रु0 20,000/- धरोहर राशि फार्म खाते में ऑनलाईन जमाकर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251 खाता संख्या: 4153 2435 884) पर देय हो, जमा/संलग्न करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल निविदा दाता की धरोहर राशि बोली समाप्त होने के बाद उनके खाते में ट्रान्सफर कर दी जायेगी।
14. कार्य आदेश मिलने के 7 दिन के अन्दर एक सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
15. तैयार करने वाले पौधों की संख्या घटायी या बढ़ाई जा सकती है जिसके बारे में समय से सूचित कर दिया जायेगा।
16. फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत या निरस्त कर सकते हैं।
17. ठेकेदार फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेगा। यदि ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा फार्म की चल व अचल सभी प्रकार की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार को ही करनी होगी।

18. ठेकेदार को उसके द्वारा लगाये जाने वाले पौधों की सुरक्षा की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार को ही करनी होगी।
19. यदि ठेकेदार कार्य अधूरा छोड़कर जाता है तो यह कार्य अन्य किसी से करवा लिया जायेगा। इस कार्य को करवाने में अगर फार्म को कोई हानि होती है तो इसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी। साथ ही धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी व किये गये कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
20. यदि किसी भी प्रकार का टैक्स लगता है तो वह ठेकेदार वहन करेगा।
21. आर्बिट्रेशन:- यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, के 1996 प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्षप्रबंधक निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए -सह-पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

(ARBITRATION- In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.)

उपरोक्त नियम व शर्तों को मेरे द्वारा सुन लिया है, समझ लिया है व पढ़ लिया गया है जो मुझे पूर्णतयः स्वीकार है।

हस्ताक्षर ठेकेदार